

CS-1. 2

21/1/22

राजरथान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक-एफ.10(14)आयु./2022

जयपुर, दिनांक :- 12 0 JUL 2022

-:: आदेश ::-

प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1/ वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1/ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	डॉ० संजय कुमार वडगुजर	SMO II	राज.होम्यो.अस्पताल हरिजन यस्ती गायत्री मंदिर अलवर	राज. होम्यो.औष.(एक छत के नीचे)राजीव गांधी सामान्य अस्पताल अलवर	रिक्त पद पर
2	डॉ० अनिल कुमार शर्मा	MO	राज.होम्यो.चिकि. चांदली तह. देवली,जिला टोंक से होम्यो मेडिकल कॉलेज केकडी अजमेर कार्यव्यवस्थार्थ	कार्यव्यवस्थार्थ आदेश निरस्त कर राज.होम्यो. चिकि.चांदली तह. देवली,जिला टोंक में यथावत	-
3	डॉ० कुलदीप कुमार डांगी	MO	राज.होम्यो.औष. अकलेरा झालावाड	राज.होम्यो.औष. सिलेहगड	रिक्त पद पर
4	डॉ० सिकन्दर मीणा	MO	राज.होम्यो.औष. कैलादेवी करौली	राज.होम्यो.औष.सातपुर आवूरोड सिरोही	रिक्त पद पर
5	डॉ० राजवीर कौर स्याग	MO	राज.होम्यो.औष.जि. मुख्यालय चुरु	राज.आयुष ब्लॉक चिकित्सालय पदमपुर श्री गंगानगर	रिक्त पद पर
6	डॉ० अनिता	MO	राज.होम्यो.औष. कूदन सीकर	श्री कल्याण राज.होम्यो. औष.सीकर	रिक्त पद पर
7	डॉ० रविन्द्र कुमार मीना	MO	राज.होम्यो.चिकि. किशनगड अजमेर	राज.होम्यो.चिकि. वापूनगर जयपुर.	रिक्त पद पर

नोट:-

- उपरोक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित रथगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय / शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।

20-07-22

D:\Local Disk\Ayurved Homeo Unani\Letter Ayurved\Letter Transfer.docx 499

3. किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही गान्गीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त राक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।

आज्ञा से,

(आर.एन.शर्मा)

शारान उप सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर किसी कार्मिक द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं जो प्रथमतः राज्य पक्ष को त्वरितता से रख किसी भी स्थगन/अन्य आदेश को राज्य पक्ष में निस्तारित कराया जावे, यदि फिर भी कोई स्थगन या अन्य आदेश पारित होता है तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावे, ताकि दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त में से किसी अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थगन प्राप्त किया जाता है तो निदेशालय/शासन की बिना पूर्व अनुमति के कार्य ग्रहण करवाये जाने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
4. संबंधित चिकित्साधिकारी मार्फत निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

(आर.एन.शर्मा)

शासन उप सचिव

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सैक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर 302033

क्रमांक/प्रति-1/होम्यो. चिकि./स्थानान्तरण/2021-22/5418

दिनांक 20.07.2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जयपुर को दी जाकर लेख है की संबंधित को जरिय ई मेल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. चिकित्सा प्रभारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय /औषधालय /सीएचसी/ पीएचसी /जिला चिकित्सालय को देकर लेख कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण किया/करवाया जावे।
4. सम्यन्धित अधिकारी
5. समस्त शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

निदेशक